

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 92/20 ता0 रजु. 13-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 11-2-2020

सरकार

बनाम

तह0 बयाना जिला—भरतपुर।
गण्ड कुमार-राहु कुमार पुत्राण चरन लाल
बागरी ब्राम्हण विड्यारी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का विड्यारी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम विड्यारी के खसरा न0 1973, 1975 रकवा 0.51 हैक्ट में से रकवा 0.32 हैक्ट किरम भूमि जे. मु. रास्ता पर सम्बत 2076 में श्री गण्ड कुमार-राहु कुमार पुत्राण चरन लाल बागरी तह0 बयाना ने सरसो कर अतिक्रमण कर लिया है। ब्राम्हण विड्यारी

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1973, 1975 रकवा 0.32 हैक्ट वाके ग्राम विड्यारी से बेदखल किया जाता है। लगान 2.56 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 128/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)